

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-८डी०(बजट-आवंटन-२२२५) ११-०३/२०२६ - ०१

प्रेषक,
निदेशक।
सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
पटना।

पटना, दिनांक- ०२.०४.२०२६

विषय: वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में प्रथम चार माह के लिए कुल ₹३,४१,२३,९८०/- (तीन करोड़ एकतालीस लाख तैईस हजार नौ सौ अस्सी रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में प्रथम चार माह के लिए कुल ₹३,४१,२३,९८०/- (तीन करोड़ एकतालीस लाख तैईस हजार नौ सौ अस्सी रु०) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

२. आबंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में गोंग संख्या-४४ के मुख्य शीर्ष- मुख्य शीर्ष-२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१ निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयाँ- ०००१.०१०१-वेतन, ०००१.०१०३ जीवन थापन भत्ता, ०००१.०१०४-मकान किराया भत्ता, ०००१.०१०५-परिवहन भत्ता, ०००१.०१०६-चिकित्सा भत्ता, ०००१.०१०७-अन्य भत्ता, ०००१.११०१-यात्रा व्यय, ०००१.१३०१-कार्यालय व्यय, ०००१.१३०२ वाहन ईंधन एवं रख-रखाव, ०००१.१३१०-भाड़े की गाड़ी का भुगतान, ०००१.१३०३-दूरभाष, ०००१.१३०५ विधि प्रचार, ०००१.०६०१ चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ०००१.२००२-कॉन्फरेस, कार्यशाला, सेमिनार, ०००१.२८०२ संविदा सेवाएँ, ०००१.०५०१ पुरस्कार, ०००१.२००३-प्रशिक्षण व्यय गोंग संख्या-४४, विपत्र कोड संख्या ४४-२२२५०१००१०००१ के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।


३- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

४- वित्त विभाग के पत्रांक २५६१ दिनांक १७/०४/९८ एवं ३१४/वि० दिनांक ०१.०४.२०२६ तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है।

५- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।


६- प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाये।

विश्वासभाजन,


निदेशक।


ज्ञापक- ८डी०(बजट आवंटन २२२५) ११-०३/२०२६ - ०१ पटना, दिनांक- ०२.०४.२०२६

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ उप निदेशक (मु०)/सचिव कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (मुख्यालय)/ प्रशाखा पदाधिकारी ०७ जी०(लेखा शाखा), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/आई०टी०मैनेजर/प्रशाखा पदा० ०१डी० अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापक- ८डी०(बजट आवंटन २२२५) ११ ०३/२०२६ - ०१ पटना, दिनांक- ०२.०४.२०२६

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

W

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के मुख्यालय एवं निदेशालय अन्तर्गत स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के संधारणार्थ वेनादि एवं अन्य मदों में प्रथम चार माह के लिए आवंटित राशि की विवरणी

(राशि रू0 में)

क्रमांक	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित राशि
1	2	3
i	0001 0101 वेतन	95,70,000
ii	0001 0103 जीवन यापन भत्ता	62,20,500
iii	0001 0104 मकान किराया भत्ता	19,14,000
iv	0001 0105 परिवहन भत्ता	7,26,000
v	0001 0106 चिकित्सा भत्ता	1,55,100
vi	0107 अन्य भत्ता	19,800
	योग (वेतन)	1,86,05,400
2	0001 0601 चिकित्सा प्रति पूर्ति	1,32,000
3	0001 0501 पुरस्कार	1,980
4	0001 1101 यात्रा भत्ता	2,64,000
5	0001 1301 कार्यालय व्यय	13,20,000
6	0001 1303 दूरगाथ	39,600
7	0001 1302 वाहन का इंधन एवं रखरखाव	1,98,000
8	0001 1310 गाड़े की गाड़ी का भुगतान	1,65,000
9	0001 2802 संविदा सेवाएं	33,99,000
10	0001 2003 प्रशिक्षण व्यय	99,00,000
11	0001 2002 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	66,000
12	0001 1305 विधि प्रसार	33,000
	कुल योग	3,41,23,980

कुल(तीन करोड़ एकतालीस लाख तैईस हजार नौ सौ अस्सी रू0) मात्र

निदेशक

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

पत्रांक-01 दिनांक 02.04.2026 का अनुलग्नक